प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील का नाम **कपकोट** , जिला **बागेश्वर**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.607 हे0 आरक्षित वनभूमि, 1.912 हे0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात **कुल 2.519** हे0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग कपकोट** के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गोलना सीमा द्वारा दिनांक 16-04-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सीमा सीमा के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत गोलना
वि०ख० कपकोट जिला-बागेश्वर

ह0/–
ग्राम सचिव

ज्येष्ठ उप-प्रमुख
वि0ख0-कपकोट

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:– जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव

दिनांक 16-04-17 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत गोलना (सीमा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1.	Anand Singh Garijya	[illegible]
2	नरेन्द्र सिंह गढ़िया	नरेन्द्र सिंह गढ़िया
3.	BS Garijya	
4.	Sundar Singh Garijya	Sundar
5	Hoshiyar Singh	[illegible]
	Laxman Singh	Laxman Singh
	चन्द्र सिंह	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	Gopal singh	
	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]
	CMS	
	हरीश सिंह	
17	त्रिलोक सिंह	[illegible]
	सुनील सिंह गढ़िया	

ज्येष्ठ उप-प्रमुख
क्षे0पं0-कपकोट

ह0/–
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत गोलना
वि0ख0 कपकोट जिला-बागेश्वर

प्रस्ताव

कार्यालय उप जिलाधिकारी **कपकोट**
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण--पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,........कपकोट............

उपखण्ड **कपकोट** परिक्षेत्र के जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण (**0.607** है0 आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वनभूमि **1.912** है0, वन पंचायत भूमि **0.00** है0, अर्थात कुल **2.519** हे0 वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **कपकोट**) की दिनांक..19/6/17.... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **कपकोट**) की दिनांक ....19/6/17.....को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरण:--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री..रवीन्द्र सिंह.... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-- श्री....रवीन्द्र सिंह........उपजिलाधिकारी..........कपकोट.......... Sub Divisional Magistrate Kapkote (Bageshwar)
2-- श्री ....[illegible]..........उप प्रभागीय वनाधिकारी.......[illegible].........सदस्य
3-- श्री ....कालू राम वर्मा...........सहायक समाज कल्याण अधिकारी....[illegible]......सदस्य / सचिव
4-- श्री ....धीरा सिंह [illegible].............बी0डी0सी0 क्षेत्र...[illegible].....सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर में जिला योजना 2.519 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुषंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी **बागेश्वर** अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्पागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा 4.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु **2.519 हे**0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......कपकोट......
जनपद......बागेश्वर......

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी......बागेश्वर......को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......कपकोट......
जनपद......बागेश्वर......

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district,constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt. RANJANA VERMA.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date .21.-6-.17...at time 11.00 am at Bageshwar in which application claiming rights in Sima(Gola) area measuring **2.519** hect for the **Construction of Harsila to Sima motor road (Length 4.00) in distt Bageshwer** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

21/06/17.

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Place: Bageshwar

Dated: 21/06/17

District Level Committe

Form-1

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

NO…………………… *Dated…21.-.6.-'17*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.519** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Harsila to Sima motor road (Length 4.00) in distt Bageshwer** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.519** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer…..**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers**.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Govemment as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it;……**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated 21-6-17

21/06/17

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector

Form-II

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

N0…………………… *Dated..21-6-17*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.519** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Harsila to Sima motor road (Length 4.00) in distt Bageshwer**

.

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.519** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure……..to annexure…….
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of ..Sima (Chalem)...Village (s) is enclosed as annexure……..
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above

21/06/17

जिलाधिकारी

बागेश्वर

District Collector

Bageshwar

परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **2.519हे0** वन भूमि **निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति **बागेश्वर** तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

21/06/1?

जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **2.519 है0** वन भूमि निर्माण खण्ड, **लोक निर्माण विभाग कपकोट** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

21/06/21

जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक (4.00किमी0) मोटर मार्ग निर्माण हेतु में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू–स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

21/06/17.

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

जिलाधकारी